



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

पी. सरदार सिंह
कुलसचिव
P. Sardar Singh
Registrar

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक : 006/Estt../Gen./79/Vol.III/ 1965
दिनांक : 05.09.2023

अधिसूचना

विश्वविद्यालय में स्वच्छता (Sanitation) और बागवानी (Horticulture) से संबंधित कर्मी अलग से स्वच्छता (Sanitation) और बागवानी (Horticulture) विभाग न होने की स्थिति में परिसर विकास विभाग से संचालन किया जाता रहा है।

सक्षम अधिकारी से प्राप्त निर्देशानुसार स्वच्छता (Sanitation) और बागवानी (Horticulture) से संबंधित कार्यों के सुचारु संपादन/संचालन हेतु विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से निम्नांकित विभागों की स्थापना की जाती है :

1. बागवानी विभाग (Horticulture Section)
2. स्वच्छता विभाग (Sanitation Section)

विश्वविद्यालय के सभी माली बागवानी विभाग (Horticulture Section) के अंतर्गत तथा सभी सफाई कर्मी स्वच्छता विभाग (Sanitation Section) के अंतर्गत कार्य करेंगे।

उक्त दोनों विभाग के लिए कर्मियों के आबंटन के संबंध में अलग से आदेश प्रसारित किया जायेगा।

यह सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(पी. सरदार सिंह)

प्रति (ईमेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. कुलसचिव कार्यालय
3. वित्त अधिकारी कार्यालय
4. परीक्षा नियंत्रक कार्यालय
5. समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक, अकादमिक निदेशक एवं प्रभारी, क्षेत्रीय केंद्र
6. पुस्तकालयाध्यक्ष, महापंडित राहुल सांकृत्यायन केंद्रीय पुस्तकालय
7. सहायक कुलसचिव, परिसर विकास
8. सहायक कुलसचिव, क्रय एवं भंडार
9. लीला, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. संबंधित पत्रावली